46

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक
पंजी में दर्ज दि. 18-5-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 7-6-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 18-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

। २०१८ निगरानी - 3086/2018/मुरैना/भू.रा.

नारायणदास गुरू भगवानदास वैरागी,
निवासी- रामजानकी मन्दिर पूठ, तहसील अम्बाह जिला- मुरैना- मध्यप्रदेश ।

-------- प्रार्थी

विरुद्ध

१- सुदामाप्रसाद पुत्र वृन्दावनदास,
निवासी ग्राम पूठ, तहसील अम्बाह,
जिला मुरैना-म०प्र० । ---- असल प्रतिप्रार्थी

२- मध्यप्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर मुरैना ।

----- तरतीवी प्रति-प्रार्थी ।

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार महोदय अम्बाह जिला मुरैना दिनांक २-५-१८, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ । प्र०क्र० ३१९७-बी१२१ अ-६ ।

---

श्रीमान् जी,

निगरानी आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप एंव कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, तहसीलदार महोदय ने विवादित आदेश के व्दारा प्रार्थी के साक्ष्य प्रस्तुत करने के हक को समाप्त किये जाने में कानूनी एंव तथ्यात्मक भूल की है ।

४- यह कि, प्रार्थी की ओर से तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदक सुदामा प्रसाद के साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण हेतु धारा ३२-भू-राजस्व संहिता के अधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे

क्रमश :---२

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 03086/2018/मुरैना/भू.रा.

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 22 –5–2018 | आवेदक के अभिभाषक श्री एस. के. अवस्थी को ग्राह्यता के प्रश्न पर सूना गया।<br>प्रार्थी अभिभाषक नेनिवेदन किया कि वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में नामातंरण का प्रश्न विवादित है। आवेदक वारिसान आधार पर तथा प्रति प्रार्थी बसीयत के आधार पर नामांतरण की मांग कर रहे हैं। प्रकरण में आवेदक की साक्ष्य के दौरान प्रतिप्रार्थी के साक्षी रामसेवक शर्मा एवम् दिनेश शर्मा के कथन पर प्रति परीक्षण हेतु दिनांक 28/4/18 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा निरस्त कर आवेदक को वापिस किया है साथ ही आवेदक के साक्ष्य के अवसर को दिनांक 21/05/18 को समाप्त किया है जो न्यायोचित नहीं है।<br>2– मैंने प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन को निरस्त कर साक्ष्य के हम को समाप्त किया जाना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं माना जा सकता है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि साक्ष्य में प्रतिपरीक्षण की भी मांग की जा सकती है।<br>3– उपरोक्त परिस्थिति में यह निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 28/4/18 के अनुसार साक्षियों के प्रति परीक्षण एवम् आवेदक को शेष साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिये जाने के निर्देश न्यायहित में दिए जाते हैं। प्रार्थना पत्र दिनांक 28/4/18 जो मूल रूप से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है आवेदन को अधीनसी न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु वापस किया | |

जावे। उपरोक्त निर्देशों के पालन हेतु अधीनस्थ न्यायालय को सूचित किया जाकर वर्तमान निगरानी प्रकरण समाप्त कर अभिलेखागार में जमा किया जावे।

अदस्य